रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082026-275344
CG-DL-E-10082026-275344

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4246]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948
No. 4246]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2026

का.आ. 4424(अ).— पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव स्कीम)

1. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2024 के सां.आ. 4259(ई) के माध्यम से अधिसूचित पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट स्कीम (पीएम ई-ड्राइव) में आंशिक संशोधन करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

2. दिनांक 29 सितम्बर, 2024 के सां.आ. 4259(ई) की स्कीम अधिसूचना के पैरा 5, जिसे दिनांक 7 अगस्त, 2025 के सां.आ. 3626(ई) के माध्यम से संशोधित किया गया था, को निम्नानुसार पुनः संशोधित किया जाता है:

   ₹11,900 करोड़ के परिव्यय वाली पीएम ई-ड्राइव स्कीम का कार्यान्वयन दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2028 तक किया जा रहा है, ताकि ईलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, **चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना** की जा सके तथा देश में ईवी विनिर्माण **पारितंत्र** का विकास किया जा सके। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 के दौरान कार्यान्वित ईएमपीएस-2024 को इस स्कीम में समाहित कर दिया गया है।

3. दिनांक 29 सितम्बर, 2024 के सां.आ. 4259(ई) के अनुलग्नक-4 की क्रम संख्या 1, जिसे दिनांक 27 मार्च, 2026 के सां.आ. 1617(ई) द्वारा संशोधित किया गया था, को निम्नानुसार पुनः संशोधित किया जाता है:

क्रम सं.	वाहन श्रेणी	समर्थन हेतु वाहनों की अधिकतम संख्या	वाहनों हेतु प्रोत्साहन*1		प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु अधिकतम एक्स-फैक्ट्री मूल्य	एमएचआई से कुल निधि सहायता (₹ करोड़ में)
			वित्त वर्ष 2024-25	01.04.2025 से 31.03.2028		
1	पंजीकृत ई-दुपहिया वाहन	45,79,120	₹5,000 प्रति किलोवाट घंटा, प्रति वाहन अधिकतम सीमा ₹10,000	₹2,500 प्रति किलोवाट घंटा, प्रति वाहन अधिकतम सीमा ₹5,000	1.5 लाख	2,767*2

*1 तथापि, प्रति किलोवाट-घंटा प्रस्तावित आर्थिक प्रोत्साहन वाहन लागत में कमी के अनुसार समीक्षा के अधीन होगी तथा समय-समय पर तदनुसार अधिसूचित की जाएगी। प्रोत्साहन राशि उपर्युक्त निर्दिष्ट राशि अथवा ई-दुपहिया/ई-तिपहिया के एक्स-फैक्ट्री मूल्य के 15% में से जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

*2 ईएमपीएस-2024 के अंतर्गत परिव्यय को पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत परिव्यय में समाहित कर दिया गया है।

4. दिनांक 29 सितंबर 2024 के सा.आ. 4259(ई) के पैरा 9 की तालिका-1 में, ई -2 पहिया के लिए कुल खर्च ₹2,767 करोड़ होगा। इसके अलावा, प्रशासनिक व्यय के लिए ₹55 करोड़ का प्रावधान होगा, जिसमें प्रशासनिक व्यय के तहत अलग-अलग उप-घटकों के बीच खर्चों को आपस में समायोजित करने की सुविधा होगी।

5. दिनांक 29 सितम्बर, 2024 के सां.आ. 4259(ई) द्वारा अधिसूचित स्कीम के पैरा 46, जिसे दिनांक 7 अगस्त, 2025 के सां.आ. 3626(ई) तथा दिनांक 27 मार्च, 2026 के सां.आ. 1617(ई) द्वारा संशोधित किया गया था, को निम्नानुसार पुन: संशोधित किया जाता है:

यह एक निधि-सीमित स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत कुल भुगतान ₹11,900 करोड़ तक सीमित होगा। यदि स्कीम की अंतिम तिथि अर्थात् 31 मार्च, 2028 से पूर्व स्कीम या इसके संबंधित उप-घटकों के लिए उपलब्ध निधि समाप्त हो जाती है, तो स्कीम अथवा इसके संबंधित उप-घटकों को तदनुसार बंद कर दिया जाएगा, अर्थात् इसके पश्चात किसी भी अतिरिक्त दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उप-घटक पंजीकृत ई-तिपहिया (एल5) के लिए निर्धारित बिक्री लक्ष्य पहले ही प्राप्त किया जा चुका है, अतः इस खंड को दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 को बंद कर दिया गया है, जिसकी सूचना भारी उद्योग मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं. 1(1)/2024-एईआई (भाग-II) (29996), दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के माध्यम से पहले ही दी जा चुकी है।

चूंकि 31 मार्च 2028 इस स्कीम के सभी हिस्सों के लिए अंतिम तिथि है, इस तिथि के बाद एमएचआई/पीएमए की ओर से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इसलिए, स्कीम के किसी भी हिस्से के लिए एमएचआई/पीएमए को कोई भी दावा जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2027 होगी।

[फा. सं. 1(1)/2024- एईआई (28077)]

डॉ. हनीफ कुरैशी, अपर सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2026

S.O. 4424(E).—PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme

1. In partial modification of the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme which was notified by the Ministry of Heavy Industries vide S.O. 4259(E) dated 29th September 2024, the following amendments are made with effect from date of publication in the official gazette:

2. Para 5 of the Scheme notification of S.O. 4259(E) dated 29th September 2024 & as amended vide S.O. 3626(E) dated 7th August 2025, shall stand further amended as under:

The PM E-DRIVE Scheme, with an outlay of ₹11,900 crore, is being implemented from 1st April 2024 till 31st March 2028, for faster adoption of electric vehicles (EVs), setting up of charging infrastructure and development of EV manufacturing eco-system in the country. The EMPS-2024 implemented during 1st April 2024 to 30th September 2024 was subsumed under this Scheme.

3. Sl. No. 1 of the Annexure-4 of S.O. 4259(E) dated 29th September 2024 & as amended vide S.O. 1617(E) dated 27th March, 2026 shall stand further amended as under:

Sl. No.	Vehicle Segment	Maximum number of vehicles to be supported	Incentive for vehicles*1		Maximum Ex-factory price to avail incentive	Total fund support from MHI (₹ crore)
			FY 2024-25	01.04.2025 to 31.03.2028		
1	Registered e-2 wheelers	45,79,120	₹5,000/ kWh, capped at ₹10,000 per vehicle	₹2,500/ kWh, capped at ₹5,000 per vehicle	₹1.5 lakh	2,767*2

*1 The proposed amount of incentive per kWh is, however, subject to review as per the reduction in vehicle cost and would be notified accordingly from time to time. The incentive shall be limited to as specified above or 15% of ex-factory price of e-2W/ e-3W, whichever is lower.

*2 The outlay under EMPS-2024 has been subsumed within the outlay under PM E-DRIVE.

4. In Table-1 of para 9 of S.O. 4259(E) dated 29th September 2024, the total outlay for e-2Ws shall be ₹2,767 crore. Further, the outlay for Admin Expenses shall be ₹55 crore along with fungibility of expenses within various sub-heads under admin expenses.

5. Para 46 of the Scheme notification of S.O. 4259(E) dated 29th September 2024 and as amended vide S.O. 3626(E) dated 7th August 2025 & vide S.O. 1617(E) dated 27th March, 2026, shall stand further amended as under:

This is a fund-limited scheme. Total payout under the Scheme shall be limited to the scheme outlay of ₹11,900 crore. In case the funds for the Scheme or its relevant sub-components are exhausted prior to the terminal date of the Scheme i.e. 31st March 2028, then the Scheme or its relevant subcomponents will be closed accordingly i.e. no further claims will be entertained.

Further, as the target sales for sub-component registered e-3W (L5) has already been achieved, this segment was closed on 26th December 2025, as already advised vide MHI's O.M. F.No. 1(1)/2024-AEI (PartII) (29996) dated 23rd December 2025.

Since 31st March 2028 is the terminal date for all segments under the Scheme no payments will be made by MHI/ PMA after this date. Therefore, the last date for submission of any claim to MHI/PMA for any scheme component shall be 31st December 2027.

[F. No. 1(1)/2024-AEI (28077)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA